न्यायालय–जिला न्यायाधीश, भदोही।
सिविल प्रकीर्ण (अन्तरण) 18 सन् 2026
CNRNO.UPSN01–000460–2026
राजधर ..... बनाम.....असलम खान आदि ।

20.04.2026

पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को पूर्व में सुना जा चुका है। पत्रावली आदेश हेतु आज नियत है।

प्रार्थी की ओर से अंतरण प्रार्थनापत्र 4ग, मय शपथपत्र 5ग प्रस्तुत करके कथन किया गया कि प्रकीर्ण मुकदमा नं० 76 सन् 2018 राजधर बनाम असलम खान आदि न्यायालय सिविल जज (सी०डि०)/त्वरित में विचाराधीन है। न्यायालय सिविल जज (सी०डि०)/त्वरित के पीठासीन अधिकारी अमित कुमार सिंह द्वारा उभयपक्षों की बहस सुनकर निर्णय हेतु पत्रावली नियत की गयी। इसी बीच न्यायालय सिविल जज (सी०डि०)/त्वरित के पीठासीन अधिकारी श्री अमित कुमार सिंह का स्थानान्तरण अन्य न्यायालय अपर सिविल जज (सी०डि०), तृतीय, भदोही में हो गया। श्री अमित सिंह द्वारा पत्रावली के सम्बन्ध में विस्तृत बहस सुनी जा चुकी है। इस वजह से उक्त पत्रावली व उससे सम्बन्धित अन्य पत्रावली मय मूलवाद न्यायालय अपर सिविल जज (सी०डि०) तृतीय, भदोही के न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने की याचना की गयी है।

विपक्षी सं० 1 की तरफ से आपत्ति कागज सं० 17ग प्रस्तुत कर कथन किया गया कि मूलवाद 22 दीवानी सन् 1975 श्रीमती इबरतजहां बनाम शम्भू प्रसाद में पारित निर्णय व डिक्री के निष्पादन हेतु प्रस्तुत निष्पादन प्रार्थनापत्र के विरुद्ध मद्दयून डिक्री आवेदक द्वारा दफा 47 जाप्ता दीवानी के तहत प्रस्तुत आपत्ति 41 सन् 2011 राजधर वगैरह बनाम असलम खान वगैरह मय निष्पादन वाद सं० 4 सन् 2009 श्रीमती इबरतजहां बनाम शम्भूप्रसाद की कार्यवाही को अनावश्यक रूप से विलम्बित करने के नियत से प्रस्तुत किया गया है। आवेदक मद्दयून द्वारा प्रस्तुत आपत्ति अन्तर्गत दफा 47 जाप्ता दीवानी विद्वान विचारण न्यायालय सिविल जज (सी०डि०) भदोही द्वारा आदेश दिनांक 04.12.2014 के जरिये निरस्त फरमायी गयी, जिसके विरुद्ध मद्दयून द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर मामला पुनः सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किया गया और इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा भी मामले का शीघ्र निस्तारण का निर्देश देते हुए विद्वान निष्पादन न्यायालय को समुचित दिशा–निर्देश दिया गया है। जाप्ता दीवानी के अन्तर्गत प्रस्तुत आपत्ति की कार्यवाही मूलवाद में पारित डिक्री के निष्पादन व डिस्चार्ज पर किया जाना अपेक्षित रहा है, किन्तु आवेदक निर्णीत ऋणी द्वारा डिक्री के निष्पादन व डिस्चार्ज के बजाय न्यायालय द्वारा निष्पादित पंजीकृत दस्तावेज बैनामा के वैधानिकता के विरुद्ध अनावश्यक व खिलाफ कानून सवाल उठाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसकी अनुमति आवेदक/निर्णीत ऋणी को दफा 340 दण्ड प्रक्रिया संहिता की कार्यवाही में कानूनन नहीं दी जा सकती है। आवेदक द्वारा अनावश्यक रूप से मामले के त्वरित निस्तारण को रोकने के लिए न्यायालय के समक्ष ट्रांसफर प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है। पीठासीन अधिकारी के ट्रांसफर होने अथवा पुनः व्यवस्था के तहत अन्यत्र न्यायालय में प्रतिस्थापित होने से आवेदक को मामला ट्रांसफर कराने का विधिक अधिकार प्राप्त नहीं होता है। प्रश्नगत प्रकीर्ण वाद के साथ अन्य निष्पादन वाद व प्रकीर्ण वाद अन्तर्गत दफा 47 जाप्ता दीवानी अन्तरित किये जाने हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन दुर्भावना से प्रेरित है, जो निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

विपक्षी सं० 3 द्वारा आपत्ति कागज सं० 34ग प्रस्तुत कर ट्रांसफर प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए कहा गया कि मूलवाद 1975 का है, जिसकी एक बार डिक्री दिनांकित 22.09.1975 को एवं दूसरी बार 13.10.2008 को हुई है तथा विपक्षी सं० 1 द्वारा प्रस्तुत आपत्ति के कथानक का समर्थन करते हुए अन्तरण प्रार्थनापत्र सरसरी तौर पर निरस्त करने की याचना की गयी है।

पत्रावली पर सम्बन्धित न्यायालय से आहूत आख्या कागज सं० 7ग दिनांकित 13.02.2026 उपलब्ध है।

मैंने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों के आलोक में आधार अंतरण व पत्रावली पर उपलब्ध अन्य प्रपत्रों का अवलोकन किया।

आवेदक द्वारा अपने अंतरण प्रार्थनापत्र अंतरण में मुख्य रूप से यह कहा गया कि प्रकीर्ण मुकदमा संख्या–76/2018 राजधर बनाम असलम खॉन आदि की पत्रावली के पीठासीन

अधिकारी श्री अमित सिंह द्वारा विस्तृत बहस सुनी जा चुकी है और उक्त न्यायालय के पीठासीन अधिकारी वर्तमान में न्यायालय अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन तृतीय हो गये हैं,अतःउक्त प्रकीर्ण मुकदमा संख्या–76/2018 राजधर बनाम असलम खॉन आदि की पत्रावली व उससे संबंधित पत्रावली व अन्य मूलवाद भी न्यायालय अपर सिविल जज सी०डि०तृतीय भदोही में अंतरित करने की याचना की गयी है,किन्तु आवेदक द्वारा अपने प्रार्थनापत्र में याचित अनुतोष में न तो संबंधित पत्रावली व अन्य मूलवाद का विवरण दिया गया है और न ही संबंधित पत्रावली व अन्य मूलवाद के सम्बन्ध में संबंधित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी की कोई आख्या उपलब्ध है। चूंकि आवेदक द्वारा मात्र प्रकीर्ण मुकदमा संख्या –76/2018 राजधर बनाम असलम खॉन आदि की पत्रावली में बहस सुनने एवं मात्र उक्त पत्रावली के अंतरण के संबंध में ही अनुतोष याचित किया गया है।

अतः मामले के सम्पूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियों में प्रकीर्ण मुकदमा संख्या –76/2018 राजधर बनाम असलम खॉन आदि की पत्रावली न्यायालय सिविल जज (सी०डि०)/ त्वरित भदोही से विधिनुसार सुनवाई एवं निस्तारण हेतु न्यायालय अपर सिविल जज (सी०डि०) तृतीय, भदोही में अंतरित की जाती है।

तदनुसार प्रकीर्ण सिविल निस्तारित किया जाता है। संबंधित न्यायालय उपरोक्तानुसार सूचित हों।

दिनांक–20.04.2026

(अखिलेश दूबे)
जिला न्यायाधीश
भदोही।
J.O. Code UP 5725

Digitally signed by AKHILESH DUBEY
Date: 2026.04.20 16:54:29 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court